वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां No.4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों / निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकिस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2018, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2018 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग ₹431931.53 करोड़ और ₹380172.80 करोड़ थीं। The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2018 were ₹431931.53 crores and ₹380172.80 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:— The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पुंजी प्रदान करने हेतू दी गई गारंटियां।

Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT-Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि Invoked during the year		वर्ष के गारंटी अंत में कमीशन बकाया अथवा फी		गन	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other –			Outstanding at the end of the year	Guara Commi or F	ssion	Other material details
	year	,		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	,	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	, ,	11 रुपयों में) of rupees)
कृषि मंत्रालय — MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of										
Agriculture and Co-operat	tion 19037.00 (2)	4036.00 (2)	^15001.00	_	_	_	19037.00 (2)	@	@	_
वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग		. ,					.,			
Department of Economic Affairs	17028.31 (16)	16756.62 (16)	*271.69	*265.90	_	_	16762.41 (16)	67.10	*67.12	_
राजस्व विभाग Department of Revenue	800.00 (1)	800.00 (1)	_	_	_	_	800.00 (1)	2.03	2.03	_

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 54495.00 (2) उद्योग मंत्रालय —	54495.00 (2)	_	45000.00 (1)	_	_	9495.00 (1)	**	**	_
MINISTRY OF INDUSTRY—									
भारी उद्योग विभाग									
Department of Heavy Industry 253.00 (3)	253.00 (3)	_	253.00 (3)	_	_	@@	_	_	_
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,									
खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग									
MINISTRY OF MICRO, SMALL									
AND MEDIUM ENTERPRISES,									
KHADI & VILLAGE									
INDUSTRIES COMMISSION	262.00		#12.00			240.00	70.10	11.11	
(KVIC) 262.00	262.00	_	#13.00	_	_	249.00	78.10	##	_
(1)	(1)					(1)			

- लागू न की गई गारंटियों की संख्या।
- ^ Number of Guarantees not affected.
- @ सक्षम प्राधिकारी द्वारा गारंटी शुल्क का अधित्याग कर दिया गया।
- @ Guarantee fee is waived by Competent Authority.
- * विनिमय दर में घट-बढ़ होने के कारण।
- * Due to exchange rate fluctuation.
- ** मंत्रालय ने अपने दिनांक 25.4.2008 के पत्र द्वारा सरकार द्वारा निष्पादित एकल डिफाल्ट गारंटी के लिए देय गारंटी शूल्क का अधित्याग कर दिया है।
- ** Ministry vide its letter dated 25.4.2008 has waived the guarantee fee payable towards single default guarantee executed by the Government.
- # आंशिक ऋण की अदायगी
- # Payment of part loan.
- ## केवीआईसी न तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और न ही लाभ अर्जित करने वाला संगठन है, यह एक संवर्धन संगठन है।
- ## KVIC is neither a public sector undertaking (PSU) nor a profit making organization it is a promotional organization.
- @@ सरकारी गारंटी की वैधता की अविध को आखिरी बार 31/3/2017 तक बढ़ाया गया था।
- @@ Period of validity of Govt. Guarantee was last extended upto 31/03/2017.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम		वर्ष के दौरान वर्ष के गारंटीकृत आरंभ में अधिकतम बकाया राशि		वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	मांगी गई राशि के अलावा) Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guara Commi or F	ssion	Other material details	
	year				उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	, and the second	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 रुपयों में) of rupees)
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय– MINISTRY OF CHEMICAL AND FERTILISERS—										
	फार्मास्युटिकल्स विभाग Department of Pharmaceuticals	1117.23 (9)	1102.56 (9)	*14.67	_	_	_	1117.23 (9)	81.47	^^	_
	जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES	_	_	_	_	_	_	_	**2.59	_	_

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / ऋणों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां :-
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

रसायन और उर्वरक मंत्रालय— MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS— रसायन और पेट्रो रसायन विभाग Department of Chemicals and Petro Chemicals 250.00 250.00 ^250.00 2.50 (2) (2) (2) विद्युत मंत्रालय एसएलआर बांद MINISTRY OF POWER 7000.00 7000.00 7000.00 70.00 70.00 SLR Bond (2) (2) (2) उपभोक्ता मामले. खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय **MINISTRY OF CONSUMER** 13000.00 AFFAIRS, FOOD AND 13000.00 13000.00 **PUBLIC DISTRIBUTION** (2) (2) (2)

वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि के कारण।

^{*} Due to increase in liabilities during the year.

^{**} गारंटी शुल्क की अदायगी देय तारीखों को न किए जाने के लिए जुर्माना लगाने से संबंधित है। इसका अधित्याग करने के लिए एक प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

^{**} Pertains to levy of Penalty for not making payment of Guarantee fee on due dates. A proposal for its waiver is under consideration of DEA, M/o Finance.

[^] रु 250 करोड़ के सरकारी बांडों को दिनांक 14/11/2017 के का.ज्ञा.सं. 51012/4/2013/अ. Ⅲ (पी.एल.) के तहत छुड़ाया गया।

⁶ Government bonds of Rs. 250 crore redeemed vide OM No.51012/4/2013/ch.III(PL) dated 14/11/2017.

[^] यह एक रुग्ण इकाई है।

[^] It is a sick unit.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के गारंटी अंत में कमीशन बकाया अथवा फीस		ान कीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other	duri the y	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year Guarantee Commission or Fee		Other material details
	year			than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 रुपयों में) of rupees)
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAY	YS 800.14 (2)	0.05 (1)	800.09	_	_	_	800.14	9.60	9.60	_
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी MINISTRY OF COMMUN AND INFORMATION TE दूरसंचार विभाग	IICATIONS									
Department of Telecommunications	7513.97 (4)	7513.97 (4)	_	_	_	_	7513.97 (4)	29.80	29.80	_

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियाँ :-
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVILAVIATION	48435.23 (38)	40452.70 (31)	7982.53 (7)	_	_	_	48435.23 (38)	1148.68	168.97	_
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	723.29 (3)	623.30 (3)	*99.99	*56.65	_	_	666.64 (3)	5.48	5.48	_
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	36689.85 (43)	31187.70 (35)	5502.15 (8)	*2110.76	_	_	34579.09 (43)	398.82	398.82	_
वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE— आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	155574.50 (183)	149253.20 (174)	6321.30 (9)	2082.13 (4)	_	_	153492.37 (179)	170.26	#173.47	_
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम म MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTER राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिग्नि	RPRISES									
National Small Industries Corporation Limited	59.97 (3)	51.75 (3)	*8.22	3.06	_	_	56.91 (3)	0.31	0.24	_

^{*} विनिमय दर में बदलाव के कारण।

^{*} Due to exchange rate variation.

[#] अग्रिम में प्राप्त ₹3.21 करोड़ की राशि वर्ष 2018-19 से संबंधित है।

^{# ₹3.21} crore pertain to 2018-19 received in advance.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के मांगी रागि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	अंत में कमीशन		अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other	Invo duri the y	ng	Outstanding at the end of the year	ing at the Commission end of or Fee		Other material details
	year	the year		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	the year	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1 सड़क परिवहन और राजमार्ग	2 मित्रालय	3	4	5	6	7	8	9	, .	11 रुपयों में) of rupees)
MINISTRY OF ROAD										
TRANSPORT AND HIGH	WAYS 655.51 (1)	655.51 (1)	_	^^51.07	_	_	604.44	1.61	1.61	_
नवीन और नवीकरणीय ऊज	र्ग मंत्रालय									
MINISTRY OF NEW ANI										
RENEWABLE ENERGY	7358.91	7018.49	340.42	^292.68	_	_	7066.23	79.91	79.91	_
इस्पात मंत्रालय	(13)	(11)	(2)				(13)			
MINISTRY OF STEEL आवास और शहरी गरीबी	399.19 (2)	363.34 (2)	^35.85	_	_	_	399.19 (2)	0.99	0.99	_
निवारण मंत्रालय MINISTRY OF HUPA	426.50 (2)	422.62 (2)	^3.88	^72.73	_	_	353.77 (2)	3.23	3.23	_

वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE	0.83 (1)	0.83		0.83					_	_
शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	900.98 (2)	789.94 (2)	^111.04	^^84.80	_	_	816.18 (2)	9.48	9.48	_
विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	59150.12 (7)	29900.12 (6)	29250.00 (1)	^1222.12	_	_	57928.00 (7)	_	_	_

(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों / दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों / निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति–गारंटियांः –

(iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

— शून्य / NIL —

[^] विनिमय दर में बदलाव के कारण।

[^] Due to exchange rate variation.

[^] वर्ष के दौरान ऋण की पुनर्अदायगी।

[^] Repayment of loan during the year.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के मांगी राधि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंत कमीश अथवा ^१	गन	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee		Other material details
	year	,		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	7	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										रुपयों में) of rupees)

(v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों / भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे / राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:--

(v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

— शून्य / NIL —

(vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:--

(vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

— शून्य / NIL —

- (vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :--
- (vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

—शून्य / NIL —

- (viii) कोई अन्य –
- (viii) Any Other: —

— शून्य / NIL —